न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

क्रमांक – रीडर/2017/1768 दिनांक 18/7/17

प्रेषित :–

तहसीलदार सेड़वा

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 50/16 अनवान लजपत बनाम राज.सरकार वगैरा में 15.07.17 की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में विचाराधीन आवेदन सं. 50/16 अन्तर्गत धारा 251 (ए) Rt Act में निर्णय दिनांक 15.07.2017 को पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2017 की पालना करते हुए पालना रिपोर्ट की सूचना 15 दिवस में पेश करे।

सलंग्न – निर्णय की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन :– 554/16 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

प्रार्थी :– 1. लजपत पुत्र हरलाल जाति महेश्वरी
निवासी सरूपे का तला, तहसील सेड़वा।

बनाम

विप्रार्थी :– 1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा।

वकी प्रार्थीनी :– श्री पवन धारीवाल

विप्रार्थीगण वकील :–

निर्णय

दिनांक 15/7/17

प्रार्थी लजपत पुत्र हरलाल जाति महेश्वरी, निवासी सरूपे का तला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सदभावी काश्तकार है। प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जा सुद खेत खसरा सं. 34 रकबा 28.06 बीघा ग्राम सरूपे का तला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर में स्थित है। प्रार्थी द्वारा निर्धारित फार्म में आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उसकी उक्त जोत पर आने जाने हेतु विप्रार्थी के खसरा सं. 416/33 रकबा 30.00 बीघा मौजा सरूपे का तला के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है । अतः प्रार्थीनी को रास्ता दिया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को नोटिस जारी किये गए। पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कोर्ट कैम्प सेड़वा में दिनांक 15.07.17 को पेश हुई। तहसीलदार द्वारा उपरोक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट पेश की गई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया।

चुंकि प्रस्तुत आवेदन एवं मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। प्रार्थी द्वारा रास्ते की मांग की गई है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के खेत से गांव , आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थी की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थी को जिन खसरों से रास्ता दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा	किस्म	रास्ते की लम्बाई X चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	416/33	30	बा.दो.	330 x 12	00.05	सरूपे का तला	राजस्थान सरकार

तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट एवं सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा इस में पीला रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थी को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थी द्वारा देय होगी और प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस पीला रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस व फर्द मौका निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थी को उपरोक्त खसरा में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में पीला रंग दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।

3. प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थी द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में **"रास्ता"** के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।

5. प्रार्थी को उक्त रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।

6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को नया रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 15.07.17 को दिया जाता है। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2017 को कोर्ट कैम्प सेड़वा मे सुनाया गया।

(भागीरथराम)
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
चौहटन

मौका - फर्द

आज दिनांक 14/07/2017 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौहटन के राजस्व आवेदन सं. 50/16 अनवान लजपत बनाम राज. सरकार में निर्णय दिनांक 29/6/17 की पालना में पटवार मंडल सरूपे का तला के मौजा सरूपे का तला के खसरा नम्बर 34 रकबा 28-06 बीघा किस्म बा. दो. में आने जाने हेतु प्रार्थी की ख. न. 416/33 रकबा 30 बीघा में धारा 251(A) में रास्ते की जाँच करने हेतु मौके पर मय पटवारी हल्का सरूपे का तला पहुंचे।

मौके पर प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता में वर्तमान मे भूमि खाली पड़ी है तथा रास्ते की भूमि मे न कोई कीमती पेड़ है, तथा न ही कोई मकान बना है। ख. न. 416/33 रकबा 30 बीघा राजस्थान सरकार के बिला कब्जा मुमकिन भूमि के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि मे से चाहे गए रास्ते की भूमि बरंग पीला दर्शायी हुई है, जिसका नकशा संलग्न है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सरूपे का तला के [illegible] जाने वाली सड़क से अपने खातेदारी खेत तक चाहा गया है।

क्र. सं	खातेदार का नाम मय पता	खसरा सं.	रकबा बीघा	रास्ते की ल० x चौ. (फीट)	समाविष्ट भूमि का रकबा (बीघा)	DLC दर	समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म	वि. वि.
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
1	राजस्थान सरकार	416/33	30	330x12	0-05	21800	10900	बा. दो	

प्रार्थी के खेत मे जाने हेतु न्यूनतम दूरी का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है।

उक्त मौका फर्द को उपस्थित मौतबरानो को पढ़कर सुनाया व अंगूठा/हस्ताक्षर करवाए।

14/07/2017
पटवारी सरूपे का तला

लजपत

हरिराम

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

तहसीलदार (भू.अ.)

N
S

आंशिक नक्शा ट्रेस
मौजा - सरूपे का तला
जिला - बाड़मेर
पैमाना 1" = 80 गट्ठा

संकेत
रास्ता की प्रस्तावित भूमि

प्रमाणित प्रतिलिपि
राजकीय प्रयोजनार्थ निःशुल्क जारी

14/07/2017
पटवारी सरूपे का तला

14/07/2017
पटवारी सरूपे का तला

14/7/2017

हरिराम

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन